कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /354/पीए/ 2020/ इन्दौर,दिनांक 06/04/2020

//आदेश//

जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को The Epidemic Disease Act, 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत् **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** संतुष्ट हूँ कि इन्दौर शाहर में करोना कोविड–19 संक्रमण से निजात पाने के लिए एवं इन्दौर शहर के निवासियों के लिए समुचित ईलाज एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए निम्न कार्यवाही की जाना आवश्यक है। अतः उक्त अधिकारों के तहत् **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :–

1– यह कि इंडेक्स अस्पताल देवगुराड़िया रोड़, जो वर्तमान में यलो श्रेणी के अस्पताल में है, उसे रेड श्रेणी में शामिल करते हुए उसमें कोविड–19 पाजीटिव मरीजों के उपचार हेतु चिन्हांकित किया जाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर एवं उनकी टीम तथा सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अन्य समस्त संबंधित को अवगत किया जाता है कि इंडेक्स अस्पताल में 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे समस्त मरीज जिनका कोरोना कोविड–19 टेस्ट पाजीटिव आया है तथा उन्हें कोई अन्य बिमारी नहीं है (Non Comorbidity), बगैर किसी Symptoms अथवा Mild Symptoms मरीज यहॉ भेजे जावेंगे। 50 वर्ष से अधिक तथा ऐसे समस्त मरीज, जिनमें Symptoms अधिक तीव्र हो, उन्हें अरविंदों अस्पताल भेजा जाय ताकि जल्द स्वस्थ हो सकें। पूर्व में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत् समस्त रेड एवं यलो श्रेणी के अस्पताल यथावत रहेंगे। पीपीई कीट श्री संतोष टैगौर, अपर कलेक्टर मोबाईल नंबर 9826381964 द्वारा मुहैया करवाए जावेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Collector & District Magistrate, Dist. Indore, INDORE (M.P.) सत्यमेव जयते

(मनीष सिंह)
कलेक्टर,
जिला इन्दौर,

Scanned with CamScanner

पृ0कमांक / 355 / पीए / 2020 /

इन्दौर, दिनांक 06/04/2020

प्रतिलिपि–

1– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर.

2– पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर

3– समस्त अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर

4– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर

5– अधिष्ठाता मेडीकल कालेज इन्दौर

6– मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. इन्दौर – संबंधित अस्पतालों को सूचना प्रदाय हेतु।

7– संबंधित . . . .

कलेक्टर,
जिला इन्दौर.

Scanned with CamScanner